न्यायालय उपखंड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण

मुकदमा नम्बर 208/2020 उनवान उगमी देवी बनाम मनराज

उगमी देवी पत्नी स्व. रामस्वरूप जाति जाट उम्र 58 साल निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अरांई जिला अजमेर राज. ।
—प्रार्थीगण

बनाम

मनराज पत्नी स्व. अमराव जाति जाट उम्र 31 साल निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य।
— अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955

निर्णय दिनांक 12.07.2024

उपस्थितः— वकील प्रार्थी दौराने बहस

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. 1955 के तहत वकील प्रार्थी श्री अब्दुल हफीज के द्वारा पेश किया गया जिसे दिनांक 13.06.2018 को जांच रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर क्रमांक 186/2018 पर दर्ज किया गया। पत्रावली नवसृजित उपखण्ड अरांई में स्थानान्तरण से प्राप्त होने से पत्रावली को नवीन दर्ज नम्बर 208/2020 पर दर्ज किया गया। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण ने एक वाद पत्र न्यायालय के समक्ष धारा 53, 88, 188 राज.का. अधि. के तहत पेश किया गया है तथा उसी के अनुक्रम में यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है यह है कि प्रार्थिया एवं अप्रार्थिया संख्या 01 से 03 की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि ग्राम देवपुरी पटवार हल्का देवपुरी तहसील अरांई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 83, 91, 100, 101, 102, 300, 711 कुल खसरा 07 कुल रकबा 102 बीघा 11 बीस्वा भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थिया का 1/10 हिस्सा तथा अप्रार्थिया संख्या 01 से 03 का भी 1/10 हिस्सा निहित है। उक्त भूमि को प्रार्थिया ने अपने पुत्र अमराव से दिनांक 30.08.2017 में जरिये गीफ्ट डीड प्राप्त किया था, वर्तमान में उक्तानुसार प्रार्थिया काबिज काश्त है। प्रार्थिया के पुत्र अमराव की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरण संख्या 1705 दिनांक 21.03.2018 को प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 यानि उगमी देवी व राजू के नाम खोला जाना चाहिये था किन्तु विरासत का नामान्तरण केवल अप्रार्थी संख्या 03 के नाम खोला गया है जो कि अवैध है। यह है कि उक्त वादअधीन भूमि में प्रार्थिया 1/10 हिस्से का काबिज है, उक्त भूमि का विभिक्त विभाजन नहीं होने का लाभ उठाते हुये अप्रार्थीगण वादअधीन भूमि में प्रार्थिया के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करतें

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.16 12:07:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

अत श्रीमान से निवेदन है कि मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थिया के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें, वाधा उत्पन्न नहीं करें।

प्रकरण को दर्ज करने के बाद अप्रार्थीगणों की तलबी की गई। दिनांक 18.03.2019 अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से वकील जगदीश चौधरी उपस्थित हुये लेकिन दिनांक 05.07.2024 तक भी जवाब पेश नहीं करने से दिनांक 05.07.2024 को वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा दस्तावेज का अवलोकन किया गया। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिया के पुत्र अमराव का वादअधीन आराजी में 1/5 हिस्सा था जिसका अमराव की मृत्यु के बाद अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के नाम नामान्तरण खुला। अमराव द्वारा अपने जीवनकाल में ही दिनांक 30.08.2017 को आराजी में से स्वयं के हिस्से का 1/2 हिस्सा अर्थात 1/10 हिस्सा जरिये उपहार प्रलेख प्रार्थिया के नाम हस्तांतरित कर दिया गया। प्रार्थिया अमराव की माता होने के कारण हिन्दु उत्ताराधिकार अधि. 2005 के अनुसार मृतक अमराव की भूमि में प्रथम श्रेणी की वारिसान है। प्रार्थिया का दोनों ही रूपो में वादअधीन भूमि में हित निहित है। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन किया गयाः—

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण— प्रार्थिया का उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादअधीन भूमि में हित निहित है। उक्त बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में है।
2. सुविधा का संतुलन— प्रार्थिया विधवा महिला है एवं मृतक अमराव की भूमि में प्रथम श्रेणी की वारिसान है किन्तु राजस्व रिकार्ड मे नाम नहीं है। भूमि का यदि अन्यत्र अन्तरण होगा तो प्रार्थिया को असुविधा होगी। वाद बाहुलता बढेगी। उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है।
3. अपूरणिय क्षति— प्रार्थिया रिकार्डेड खातेदार नहीं है, परन्तु वादअधीन भूमि में हित निहित है। यदि भूमि का यदि अन्यत्र अन्तरण होगा तो प्रार्थिया को अपूरणिय क्षति होगी। वाद बाहुलता बढेगी। उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है।

उपर्युक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचन के उपरान्त प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. 1955 स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगणों को वाद के गुणावगुण के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम देवपुरी पटवार हल्का देवपुरी तहसील अरांई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 83, 91, 100, 101, 102, 300, 711 कुल खसरा 07 कुल रकबा 102 बीघा 11 बीस्वा भूमि में प्रार्थियागणों के हक हिस्से तक दखलअन्दाजी नहीं करें, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 12/7/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.16 12:07:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)